सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 129 राँची, गुरुवार

3 पौष, 1937 (श०)

24 दिसम्बर, 2015 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

9 अक्टूबर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-398/2014 का०-8912--उपायुक्त, दुमका का पत्रांक-1263/गो0, दिनांक 26 जून, 2010 तथा पत्रांक-943/गो0, दिनांक 31मई, 2011.

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-7473, दिनांक 4 दिसंबर, 2010; पत्रांक-3071, दिनांक 8 जून, 2011; पत्रांक-5892, दिनांक 21 सितम्बर, 2011; संकल्प सं0-8568, दिनांक 29 दिसंबर, 2011 तथा संकल्प सं0-492, दिनांक 17 जनवरी, 2014.

3. श्रीमती शीला किस्कू रपाज, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-346, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013.

4. श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-178/2014, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014.

श्रीमती मेनका, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-816/03, गृह जिला- पटना), तत्कालीन प्र0वि0पदा0, जामा, दुमका के विरूद्ध उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-1263/गो0,

दिनांक 26 जून, 2010 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है । प्रपत्र-'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं -

आरोप सं0-1. प्रखण्ड मुख्यालय में नहीं रहने एवं सरकारी वाहन का दुरूपयोग-

(क) प्रखण्ड मुख्यालय में नहीं रहने एवं प्रत्येक दिन शाम को सरकारी वाहन से मधुपुर, जिला-देवघर चले जाने की सूचना प्राप्त होने पर उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-920/गो0, दिनांक 16 जून, 2009 के द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया, किन्तु स्पष्टीकरण आरोप गठन तक अप्राप्त रहा।

(ख) दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 से 26 अक्टूबर, 2009 तक आकस्मिक अवकाश लेकर बाहर गई थीं। 27 अक्टूबर, 2009 को अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो जाना चाहिए था, किन्तु 27 अक्टूबर, 2009 को खोज किये जाने पर आरोपी पदाधिकारी मुख्यालय से अनुपस्थित पाई गयीं। इस संबंध में उपायुक्त, दुमका के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई, परन्तु आरोप गठन तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

आरोप सं0-2. योजना अभिलेख के संधारण में अनियमितता-

दिनांक 25 मई, 2010 को उपायुक्त, दुमका की जांच प्रतिवेदन की कंडिका-3 में उल्लेख है कि अधिकांश मापी पुस्तिका लम्बी अवधि से या तो कनीय अभियंता के पास पड़ा हुआ है, और कुछ मापी पुस्तिका रोजगार सेवक के घर पर रखा हुआ है। इसी प्रकार दिनांक 25 मई, 2010 को उप विकास आयुक्त, दुमका के द्वारा चिकनिया पंचायत के लखनपुर गांव के तीन जमीन समतलीकरण योजना की जांच में मापी पुस्तिका नहीं पाया गया । अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के जांच प्रतिवेदन की कंडिका-3 एवं 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि योजना सं0-17/09-10 सारे पहाड़ी नीचे टोला से श्मशान घाट तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण अभिलेख के आदेश फलक एवं मापी पुस्तिका में प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है।

आरोप सं0-3. प्राक्कलन के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन नहीं कराने तथा वित्तीय अनियमितता बरतने के संबंध में-

दिनांक 25 मई, 2010 को उप विकास आयुक्त, दुमका के द्वारा चिकनियां पंचायत के लोधना में अर्जुन मरांडी जमीन समतलीकरण योजना का निरीक्षण के उपरान्त कंडिका-1 में उल्लेख किया गया है कि योजना की प्राक्कलित राशि -119800.00 रू0 है। जिसमें दो एकड़ में जमीन समतलीकरण का कार्य किया जाना था। किन्तु मात्र

0.96 एकड़ में समतलीकरण का कार्य किया गया है तथा 110724.00 रू0 व्यय किया गया है। जबकि 1.2 एकड़ जमीन में समतलीकरण कार्य होना शेष है। इसी प्रकार जामा प्रखंड के ग्राम लखनपुर में 179200.00 रू0 की प्राक्कलित राशि पर 3.3 एकड़ जमीन में समतलीकरण का कार्य कराया जाना था। वर्तमान में 1.5 एकड़ जमीन में ही समतलीकरण का कार्य कराया गया है एवं 1.8 एकड़ पर कार्य कराया जाना शेष है। अभिलेख के अनुसार 1.5 एकड़ पर ही 147906.00 रू0 व्यय किया गया है और इस योजना में मात्र 32200.00 रू0 अवशेष है। चिकनियां से कन्हाई मंडल के घर तक 361800.00 रू0 की प्राक्कलित राशि पर मिट्टी मोरम सड़क निर्माण का कार्य कराया जाना था। प्राक्कलन में 23 फीट चैड़ी एवं 2 फीट उँचाई तक मिट्टी डालने का प्रावधान है। जबकि मापी कराने पर सड़क की चैड़ाई कहीं 14 फीट, कहीं 18 फीट एवं कहीं 21 फीट पाई गई जिसमें मात्र 6 से 8 इंच ऊँचाई तक मिट्टी डाली गई है। अभिलेख के अनुसार 251300.00 रू0 व्यय किया गया है जबकि मापी पुस्तिका में 70404.00 रू0 व्यय दर्ज किया गया है। इसी प्रकार चिकनियां से विजय बाँध सीमा तक मिट्टी मोरम पथ में प्राक्कलन के अनुसार 2 फीट तक मिट्टी डाले जाने का प्रावधान है। किन्तु मात्र 5-6 इंच तक मिट्टी सड़क पर डाली गई है, जो प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है। ढोढली पंचायत के सिंचाई कूप निर्माण, सरैया, योजना सं0 4/08-09 में उपायुक्त, दुमका के जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि कूप में 10 फीट बोल्डर से बिना सीमेंट मोर्टर का जुड़ाई का प्रावधान है, किन्तु मात्र 5 फीट बोल्डर से जोड़ाई की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया है।

<u>आरोप सं0-4.</u> मजदूरी भुगतान में विलम्ब के कारण योजनाओं का कार्य बंद पाया गया-

प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा के द्वारा समय पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के कारण योजनाओं का कार्य बंद है। उप विकास आयुक्त के जांच प्रतिवेदन की कंडिका-4, 5 एवं 6 में उल्लेख है कि मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण मजदूर कार्य नहीं करना चाह रहे है।

<u>आरोप सं0-5.</u> वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत कई योजनाओं का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है -

प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा के द्वारा मजदूरों को नियोजित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत योजनाओं में अभी तक

कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उप विकास आयुक्त, दुमका के जांच प्रतिवेदन की कंडिका-10 में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत 9 योजनाओं में अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इसी प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, दुमका के जांच प्रतिवेदन की अंतिम कंडिका में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में भैरवपुर पंचायत में मनरेगा की 9 योजनाएं स्वीकृत की गई है किन्तु एक भी योजना में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जिला योजना पदाधिकारी, दुमका के जांच प्रतिवेदन की कंडिका-7 में उल्लेख है कि भुटोकोरिया पंचायत में 2008-09 एवं 2009-10 कुल 17 योजनाएं स्वीकृत की गई है। किन्तु मात्र 7 योजनाएं कार्यरत है शेष योजना में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, दुमका के द्वारा भटनिया पंचायत के नरेगा योजना का निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में स्वीकृत योजनाओं में से 8 तालाब निर्माण योजनाओं में कार्य प्रारंभ अभी तक नहीं किया गया है।

<u>आरोप सं0-6.</u> योजना के कार्यान्वयन में वास्तविक कार्य से अधिक भुगतान कर वित्तीय अनियमितता बरती गई है:-

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के द्वारा बारा पंचायत की योजनाओं का निरीक्षण के उपरांत प्रस्तुत जांच-प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि योजना सं0-11/2008-09 सिंचाई कूप निर्माण दुधानी में मापी पुस्तिका में कूप की खुदाई 24 फीट दर्ज है, जबकि वास्तविक गहराई 16 फीट है। इस प्रकार मापी पुस्तिका में अधिक मापी दर्ज कर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है, जिसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा जिम्मेवार है। इसी प्रकार योजना संख्या 13/2008-09 में (15' X 30') कूप की प्राक्कलित राशि 1,50,900.00 है, किन्तु जांच के क्रम में कूप का इनर डायमीटर 14'9'' एवं दीवार की मोटाई 15'' तथा गहराई 21'' पाया गया है जिस पर 1,50,091. 00 रू0 व्यय किया गया है, जबकि कूप की गइराई 30 फीट होती तो वह अपने प्राक्कलित राशि 150900.00 रू0 पर आता। इस प्रकार वास्तविक कार्य से अधिक का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा के द्वारा किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के जांच प्रतिवेदन की कंडिका 4 में उल्लेख है कि योजना सं0-8/2009-10 जमीन समतलीकरण योजना की मापी पुस्तिका में 9 इंच मिट्टी कटाई दर्ज की गई है जबकि वास्तविक मिट्टी कटाई 7 इंच से 8.5 इंच पाया गया। इसी प्रकार योजना सं0-11/2009-10 महेशपुर से मेघी संथाली तक

मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में 1,25,940.00 रू0 भुगतान किया गया है, जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार कुल-1,02,200.00 रू0 का कार्य किया गया है, इसी प्रकार इस योजना में 23,740.00 रू0 असमायोजित राशि पड़ी हुई है, जो वित्तीय अनियमितता है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका के जांच प्रतिवेदन कंडिका-1 में केन्दुआबहियार पंचायत के आसनजोर के मेन गली से टेपरा नदी तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना सं0-16/2009-10 की जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि प्राक्कलन के अनुसार पथ की लम्बाई 3280 फीट है परन्तु पथ के इंट्री प्वाइंट से लगभग 400फीट छोड़ कर 700 फीट तक अनियंत्रित तरीके से 1 फीट मिट्टी भराई का कार्य कराया गया है। मिट्टी कार्य में मजदूरों को 52830.00 रू0 भुगतान किया गया है, जबकि मापी करने पर मिट्टी का कार्य 15400 घनफीट आता है। इसके अनुसार मेट सहित 24400.00 रू0 होना चाहिए था। इस प्रकार वास्तविक कार्य से अधिक भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। इस योजना में दिनांक 31 मार्च, 2010 को 50,000.00 रू0 अग्रिम भुगतान किया गया है, जबकि मिट्टी का कार्य पूर्णतः अधूरा है। अग्रिम भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है। इस योजना में मजदूरों को 28,430.00 रू0 अधिक भुगतान किया गया तथा मस्टर रोल सं0 494496 के क्रमांक-10 पर अंकित मजदूर की उपस्थिति दर्ज नहीं रहने के बावजूद भी 594.00रू0 का भुगतान दिखलाया गया है। इस प्रकार, 28430.00+594.00 = 29024.00 रू0 प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है। इसी प्रकार ऊपर रंगनी में सिंचाई कूप निर्माण योजना सं0 4/08-09 में कार्य एक वर्ष से बंद है। इस योजना में 20444.00 रू0 अग्रिम दिया गया है, किन्तु अग्रिम का सामंजन अभी तक नहीं किया गया है।

आरोप सं0-7. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त स्थल का चयन नहीं किया गया-

उपायुक्त, दुमका के निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मौजा ढोढली में तालाब निर्माण का स्थल चयन उपयुक्त नहीं है। तालाब के आस-पास खेती योग्य जमीन भी उपलब्ध नहीं है और योजना स्थल भी काफी ऊँचा है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0 दुमका के जांच प्रतिवेदन की कंडिका 8 में उल्लेख है कि आसनजोर बनिहार टोला में फुलेश्वर बैठा के जमीन पर जमीन समतलीकरण योजना में पूर्व से कुंआ बना हुआ है और सिंचाई कर उन्नत किस्म की खेती की जाती थी इस

प्रकार जमीन पर समतलीकरण की योजना पूर्णतः अनुचित है। इस योजना में 82850.00 रू0 व्यय किया गया है, जो सरकारी राशि का दुरूपयोग है।

आरोप सं0-8. योजना स्थल पर सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है एवं भौतिक रूप से पूर्ण योजनाओं का अभिलेख की कार्रवाई बंद नहीं की गई है-

जिला योजना पदाधिकारी, दुमका के जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि भुटोकोरिया में जमीन समतलीकरण भुटकोरिया से पचकठिया भाया लेदापेसा मिट्टी मोरम पथ, भुटोकोरिया अमूल्य पाल के सिंचाई कूप, कासिकोडिया में राजकिशोर साह का कूप निर्माण, ग्राम-रांगा में जमीन समतलीकरण में सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है। भुटोकोरिया में अमूल्य पाल का सिंचाई कूप, कासिकोडिया में राजकिशोर साह का कूप निर्माण, ग्राम-पांदन पहाड़ी में कूप निर्माण योजना भौतिक रूप से पूर्ण है। किन्तु अभिलेख की कार्रवाई बंद नहीं की गई है। इस प्रकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा द्वारा शिथिलता बरती गई है।

आरोप सं0-9. उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन/स्वेच्छाचारिता/कर्तव्य के प्रति लापरवाही/इंदिरा आवास के लाभुकों के प्रति असंवेदनशीलता-

जिला स्तरीय गठित जांच दल द्वारा जामा प्रखंड में कार्यान्वित विकास योजना के जांच के क्रम में पाई गई विभिन्न अनियमितता के लिए उपायुक्त, दुमका के ज्ञापांक 1202/गो0 दिनांक 18 जून, 2010 द्वारा आपके वित्तीय शक्ति को जब्त करते हुए श्री शब्बीर अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ को अपने कार्यों के अतिरिक्त जामा प्रखंड के कार्यों को संपादन करने का आदेश दिया गया था, साथ ही उपायुक्त, दुमका के पत्रांक 1226/गो0 दिनांक 22 जून, 2010 द्वारा उप विकास आयुक्त, दुमका को अपने देख रेख में प्रखंड विकास कार्यालय जामा का कैशबुक का प्रभार दिलाने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। उप विकास आयुक्त, दुमका के पत्र सं0-25/गो0 दिनांक 23 जून, 2010 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा दिनांक 23 जून, 2010 केा प्रखंड मुख्यालय नहीं आई है। उनसे मोबाईल पर सम्पर्क करने पर मोबाईल स्वीच ऑफ पाया गया। इस प्रकार आप अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रही जो आपके स्वच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है। उप विकास आयुक्त दुमका के पत्रांक 25/गो0 दिनांक 23 जून, 2010 द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि नये इंदिरा आवास के लाभुकों को जिला स्तर से दिनांक 21 जून, 2010 को चेक वितरण हेतु तिथि निर्धारित की गई थी,

किन्तु बी0डी0ओ0 जामा के द्वारा दिनांक 23 जून, 2010 तक इंदिरा आवास के लाभुकों को चेक हस्ताक्षरित कर वितरण नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सरकारी लाभ दिलाने के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।

आरोप सं0-10. मनरेगा के अन्तर्गत प्रखंडवार मद में निर्धारित लक्ष्य से 5 प्रतिशत की कम उपलब्धि-

मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के माह अप्रैल, 10 एवं मई 10 में प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त मस्टर रौल की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कुल दो माह में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा के द्वारा मजदूरी मद में मात्र 3.30 प्रतिशत राशि ही व्यय किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य से 5 प्रतिशत से भी कम है। मनरेगा जैसे सरकार के मत्वाकांक्षी योजना में कम व्यय किया जाना कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। फलस्वरूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका के ज्ञापांक 1383 दिनांक 09.06.10 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा का वेतन माह जून 2010 का अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।

आरोप सं0-11. Door Step Delivery में प्राप्त उपावंटन की निकासी कर परिवहन अभिकर्ता को भुगतान नहीं कर गलत मंशा का परिचय देना एवं वित्तीय अनियमितता बरतना-

श्री ओंकारनाथ झा, प्रदेश उपाध्यक्ष, फेयर प्राईस डीलर्स एसोसिएशन झारखण्ड, जिला शाखा, दुमका के पत्र सं0-7/06 दिनांक 17 जून, 2010 के द्वारा सूचित किया गय है Door Step Delivery के तहत परिवहन एवं हथालन मद में लाखों रूपये का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा के द्वारा अबतक नहीं किया गया है। वस्तुस्थिति की जांच इस कार्यालय के पत्र संख्या 1198/गो0 दिनांक 18 जून, 2010 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से करायी गयी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा पत्र सं0-481 दिनांक 23जून, 2010 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए सूचित किया गया है कि श्रीमति मेनका प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा को Door Step Delivery मद में परिवहन अभिकर्ता को भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 922812.00 रूपये उपावंटन किया गया था, जिसके विरूद्ध मार्च 2010 में अंतिम सप्ताह में 619427.00 रूपये पारित अभिश्रव के आधार पर कोषागार से निकासी की गयी है किन्तु परिवहन अभिकर्ताओं को

मात्र 54271.00 रूपया का भुगतान किया गया है। इस संबंध में Door Step Delivery के परिवहन अभिकर्ता श्री बिजेन्द्र मंडल श्री नरेन्द्र कुमार खिरहर, श्री गोपाल प्रसाद साह, श्री सुरेश खिरहर, श्री मेनेजर हांसदा ने स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में सूचित किया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा के द्वारा परिवहन विपत्र के भुगतान के एवज में राशि की मांग की जा रही है। इसकी सम्पुष्टि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के पत्र सं0-488 दिनांक 26.06.10 से होती है। इस प्रकार श्रीमती मेनका के द्वारा कोषागार से राशि निकासी कर परिवहन अभिकर्ता को भुगतान नहीं किया जाना गलत मंशा का द्योतक है एवं वित्तीय अनियमितता है।

आरोप सं0-12. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को भ्रामक सूचना देना-

जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक -481/जि0आ0 दिनांक 23 जून, 2010 से पुष्टि होती है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा के द्वारा फेयर प्राईस डीलर्स एसोसियेशन को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भ्रामक सूचना उपलब्ध कराया गया जो एक सरकारी पदाधिकारी के आचरण के विरूद्ध है।

आरोप सं0-13. उच्चाधिकारी को गलत प्रतिवेदन देकर दिग्भ्रमित करना एवं दिए गए निदेश का अनुपालन नहीं करना-

लेवी चीनी मद के अन्तर्गत हथालन एवं परिवहन व्यय मद में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जामा को कुल 34164.00 रू0 उपावंटित की गई थी जिसके विरूद्ध उनके द्वारा गलत अभिश्रव प्रस्तुत कर सम्पूर्ण राशि(आवश्यकता से अधिक)की निकासी की गई है। बाद में जिला कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर उन्होंने कुल 13034.00 रू0 का अभिश्रव दिखलाया। उन्हें अवशेष राशि 21130.00 रू0 चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने का निदेश जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक 404/जि0आ0 दिनांक 29.05.2010 द्वारा किया गया था। परन्तु आज तक उनके द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। इस प्रकार इनके द्वारा गलत प्रतिवेदन देकर उच्चाधिकारी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया तथा आदेश की अवहेलना के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता की गई।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-7473, दिनांक 4 दिसम्बर, 2010 द्वारा श्रीमती मेनका से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा पत्रांक-3071, दिनांक 8 जून, 2011 द्वारा इसके लिए स्मारित किया गया। श्रीमती मेनका, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दनकियारी, बोकारो के पत्रांक-999, दिनांक 7 जुलाई, 2011 द्वारा

स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसे विभागीय पत्रांक-5892, दिनांक 21 सितम्बर, 2011 द्वारा उपायुक्त, दुमका को भेजते हुए मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-943/गो0, दिनांक 31 मई, 2011 द्वारा मंतव्य दिया गया कि श्रीमती मेनका का स्पष्टीकरण असंतोषजनक है। उक्त मंतव्य के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-8568, दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्रीमती मेनका के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती शीला किस्कू रपाज, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्रीमती रपाज के पत्रांक-346, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 द्वारा जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। इसी क्रम में श्रीमती मेनका, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक-729, दिनांक 13 नवम्बर, 2013 द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें कहा गया कि विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके पक्ष को नहीं सुना गया है तथा पक्षपातपूर्ण जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य/अभिलेख नहीं दिये जाने कारण ये बचाव-बयान समर्पित नहीं कर सकीं। इस कारण श्रीमती मेनका द्वारा संचालन पदाधिकारी बदलने का अनुरोध किया गया। श्रीमती मेनका के आवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-492, दिनांक 17 जनवरी, 2014 द्वारा इनके विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री झा के पत्रांक-178/2014, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 द्वारा अपना जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें कुल 13 आरोपों में से आरोप सं0-1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 12 को अप्रमाणित तथा आरोप सं0-2, 5, 11 एवं 13 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोप सं0-2, 5, 11 एवं 13 के लिए समर्पित बचाव-बयान तथा इस पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है-

आरोप सं0-2.

बचाव बयान- यह आरोप अस्पष्ट है, क्योंकि उपायुक्त महोदय ने ''अधिकांश'' शब्द को स्पष्ट नहीं किया है, किस योजना सं0 के अभिलेख में मापी पुस्तिका पाई गई एवं किस योजना सं0 के अभिलेख में मापी पुस्तिका नहीं पाई गई, किस योजना की मापी पुस्तिका कनीय अभियंता एवं रोजगार सेवक के घर पर पाया गया उसका नाम एवं उनके घर पर

मापी पुस्तिका होने का साक्ष्य लिखित और मौखिक नहीं दिया गया है। कनीय अभियंता श्री वरूण कुमार एवं रोजगार सेवक श्री विनोद कुमार मरांडी है। इनका कहना है कि पंचायत स्तरीय योजना होने के कारण पंचायत सेवक श्री राजेन्द्र पाठक अभिलेख के संधारक है, क्योंकि यह पंचायत की योजना है। मापी पुस्तिका जो प्रखंड विकास भवन के आवंटित बक्से में था। श्री राजेन्द्र पाठक मजदूरी भुगतान हेतु पोस्ट ऑफिस सिकटिया गए हुए थे। औचक निरीक्षण में उपायुक्त महोदय के मापी पुस्तिका मांगने पर फोन पर यथाशीघ्र बुलाया गया जिसे लेकर उपायुक्त महोदय क्षेत्र के निरीक्षण के लिए गए थे। अतः मापी पुस्तिका उपायुक्त महोदय की निरीक्षण से पूर्व उन्हें प्रखंड में दिया गया था। अतएव यह आरोप स्वतः खंडित हो जाता है। उप विकास आयुक्त, दुमका ने चिकनियां पंचायत लखनपुर गांव के तीन जमीन समतलीकरण में मापी पुस्तिका नहीं पाई, यह अपने निरीक्षण टिप्पणी में अंकित किया है। इस संबंध में कनीय अभियंता श्री अजय कुमार साह एवं रोजगार सेवक श्री रूबीलाल बास्की ने लिखित रूप से बताया है कि दिनांक 25 मई, 2010 को सभी समतलीकरण योजना में मापी दर्ज थी क्योंकि कंडिका 10 में योजना सं0-01/09-10 में मापी पुस्तिका कार्यालय से खोजकर दिया गया था, जिसे देखकर उप विकास आयुक्त अपने साथ ले गए यानी 3 समतलीकरण में 2 मापी पुस्तिका तुरंत मिल गया और एक का प्रखंड के बक्से से खोजकर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में 17/09-10 सारे पहाड़ी नीचे टोला से श्मशानघाट तक मिट्टी मोरम पथ में अभिलेख के आदेश फलक पर एवं मापी पुस्तिका में प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन इसकी कोई छायाप्रति नहीं दी गई है। इस संबंध में बारा पंचायत के रोजगार सेवक ने अपने लिखित बयान में लिखा है कि मापी पुस्तिका एवं आदेश फलक पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर है। वस्तुतः आदेश फलक पर लघु हस्ताक्षर है एवं मापी पुस्तिका पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के मुहर पर लघु हस्ताक्षर पर ही सहायक ने मुहर लगा दिया है, जो उन्हें स्पष्ट नहीं दिखाई दिया होगा। अनुमंडल पदाधिकारी का इस जिले में नया पदस्थापन हुआ था, इसलिए वें मेरे लघु हस्ताक्षर को पहचान नहीं पाये होंगे ।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- जामा प्रखण्ड में नरेगा योजनाएँ (जिनका उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में है) पंचायत स्तर की योजनाएँ थीं। इन योजनाओं के अभिलेख के रख-रखाव की जिम्मेवारी मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पंचायत सेवक की थी। निरीक्षण के दौरान योजना अभिलेख का संधारण विधिवत् नहीं पाया गया था। उपायुक्त के

निरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित 6 योजनाओं में योजना अभिलेख के साथ मापी पुस्त संलग्न नहीं पाए गए थे । अभिलेख के संधारण में पंचायत स्तर पर लापरवाही बरती गयी है । यद्यपि इसके लिए मुख्य रूप से पंचायत सेवक जिम्मेवार हैं परंतु पंचायत स्तर पर योजना अभिलेखों का संधारण विधिवत् सुनिश्चित करने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का समुचित अनुश्रवण आवश्यक है, जो इनके द्वारा नहीं किया गया ।

आरोप सं0-5.

बचाव बयान- इस संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 मार्च में समाप्ति पर था तभी उपायुक्त महोदय ने सभी प्रखंडों में तालाब और जल कुण्ड की योजना को स्वीकृत किया था। दिनांक 18 जून, 2010 तक भी किसी प्रखंड से कनीय अभियंता का जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं था। चिकनियां के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक द्वारा समर्पित बयान देखा जा सकता है जिसमें अंकित किया गया है कि 2009-10 में 7 तालाब निर्माण, दो जल कुण्ड लिया गया था। दानों जल कुंड विवादित होने के कारण जेई ने उसे निरस्त करने का रिपोर्ट दिया था। उपायुक्त के नरेगा अदालत के अभिलेख सं0 33/10-11 के पृष्ठ 4 में उपायुक्त ने सुनवाई के दौरान पाया कि योजना विवादित थी, विवाद नहीं सुलझने पर रद्द करने के प्रस्ताव की मांग की है। नरेगा अदालत 38/2010-11 के आर्डर सीट की अंतिम कंडिका में ऐसा अंकित किया गया है कि 2009-10 में 7 जलकुंड और 2 तालाब की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन लाभुकों का कहना है कि जलकुंड में पानी नहीं टिकता है, इसलिए कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे। उपायुक्त ने भी इसे अपने आर्डर सीट में स्वीकार किया है कि जलकुंडों को रद्द करने का प्रस्ताव डी0आर0डी0ए0 को भेज दी जाय। 2 तालाब में कार्य प्रारंभ हो गया था। साथ ही कनीय अभियंता का जांच प्रक्रिया चल रही थी। जिला योजना पदाधिकारी, दुमका के निरीक्षण टिप्पणी की कंडिका 7 के संबंध में कहना है कि वर्ष 2009-10 में कुल मिला कर 16 योजना स्वीकृत है। मई की भीषण गरमी के कारण मजदूरों का तालाब खुदाई जैसे कार्यों में अभिरूचि नहीं लेना, किसी-किसी पंचायत में तालाब खुदाई का कार्य प्रारंभ हो गया था, कहीं स्थल जांच की प्रक्रिया चल रही थी। चूंकि कनीय अभियंता का कहना है कि एक जेई 8-9 पंचायतों की मापी करता है उसे मापी के अलावे तालाब जांच में समय लग रहा था। सभी प्रखंड में लगभग यही स्थिति थी। उपायुक्त का नरेगा अदालत की सुनवाई के दौरान भी इन तीनों पंचायतों में योजना प्रारंभ नहीं होने का कारण आपसी विवाद, जमीन बंटवारा और कनीय अभियंता के द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान 25 मई, 2010 तक स्थल जांच नहीं कर

पाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, बताया गया है अर्थात् उपायुक्त ने भी उसे स्वीकार किया है ।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- जामा प्रखण्ड में जिला के वरीय पदाधिकारी के निरीक्षण की तिथि 25 मई, 2010 तक वर्ष 2009-10 की स्वीकृत अनेक योजनाएँ, जो जलकुण्ड/तालाब से संबंधित थे, का कार्यारम्भ नहीं हो पाया था। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि योजनाएँ जिला से मार्च 2010 के अंतिम सप्ताह में स्वीकृत हुई थी तथा अभिलेख जिला से अप्रैल 2010 के अंत में प्रखण्ड को वापस किया गया था। इसके पश्चात स्थल जाँच/फोटोग्राफी इत्यादि कराने की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी । चूँकि योजना स्थल का चयन प्रखण्ड स्तर पर पूर्व में ही करते हुए योजना स्वीकृति का प्रस्ताव जिला को भेजा गया था। आरोपित पदाधिकारी का उक्त स्पष्टीकरण तर्कसंगत नहीं है। योजना की स्वीकृति मार्च, 2010 में मिलने के उपरान्त वर्षांत के पूर्व योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए तत्परतापूर्वक कार्रवाई प्रखण्ड स्तर पर करना चाहिए था। परन्तु उनकी शिथिलता के कारण कार्यारम्भ नहीं हो सका । अतः यह आरोप प्रमाणित होता है ।

आरोप सं0-11.

बचाव बयान- जामा प्रखंड में काठीकुंड प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी श्री सतीश सिंह मार्च में अतिरिक्त प्रभार में थे। मार्च के अंतिम सप्ताह में उन्होने डोर स्टेप डिलीवरी का परिवहनकर्ता के परिचालन+हथालन व्यय का 30 प्रतिशत के खर्च का अनुमानित सूची प्रस्तुत किया। आवंटन व्ययगत ना हो जाए इसलिए कोषागार से तुरंत परिवहन अभिकर्ताओं के नाम राशि की निकासी की गयी। अप्रैल में परिवहनकर्ता को भुगतान करने का क्रम में पाया गया कि सूची में केवल परिवहनकर्ता का नाम एवं गाड़ी नम्बर दर्ज है। लेकिन उस vehicle का नाम/प्रकार अंकित नही था। सूची पर पता ठिकाना दर्ज नहीं है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा परिवहनकर्ता को सत्यापित भी नही किया गया है। सूची पर सामग्री डोर स्टेप डिलीवरी कराने वाले किसी पदाधिकारी या प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र भी अंकित नही किया गया है। उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने हेतु विशेष दूत द्वारा काठीकुंड भेजा गया ताकि वे परिवहनकर्ता का दावा विपत्र अपने सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ समर्पित करें। लंबी अवधि तक उनका दावा विपत्र नही आने पर पुनः आपूर्ति पदाधिकारी को खोजा गया। कुछ दिन बाद पता चला कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की बीमारी के क्रम में मृत्यु हो

गई। प्रखंड कार्यालय में राशि भुगतान हेतु कोई भी परिवहनकर्ता का दावा विपत्र कार्यालय में नहीं आया। नये प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को परिवहनकर्ता की पहचान सत्यापन, पता ठिकाना, एक्यूटेन्स तैयार करने का निर्देश दिया गया। इसी बीच जन वितरण प्रणाली के डीलर प्रखंड कार्यालय में आकर प्रभारी सहायक को कहने लगे कि दुमका जिले में दूसरे प्रखंड के डीलर को भुगतान किया गया जैसे काठीकुंड, रामगढ़ आदि। इस लिए डीलर को भुगतान करें। जबकि नियमतः परिवहनकर्ता को महामहिम राज्यपाल के आदेशानुसार भुगतान करना था। बार-बार भुगतान की मांग डीलर कर रहे थे, परिवहनकर्ता नहीं। सही व्यक्ति को भुगतान मिले, यह स्पष्ट मंशा थी। सत्य यह है कि प्रखंड आपूत्ति पदाधिकारी की बीमारी, बाद में मृत्यु एवं तकनीकी अड़चन के कारण भुगतान में विलंब हुई थी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी बिना किसी सत्यापन प्रमाण पत्र के परिवहनकर्ता के बदले बिना दावा विपत्र के डीलर्स को भुगतान करने का गलत दबाव दे रहे थे।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य-जामा प्रखण्ड में क्ववत Door Step Delivery मद में 2009-10 में परिवहन अभिकर्ता को परिवहन एवं हथालन मद में राशि के भुगतान हेतु अगस्त 2009 से मार्च 2010 तक का विवरणी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा एक साथ तैयार कर मार्च 2010 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। इस विवरणी के आधार पर राशि की निकासी कोषागार से कर ली गयी परन्तु सभी परिवहन अभिकर्ता को भुगतान आरोप गठन की तिथि तक आरोपी पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। कोषागार से निकासी की गयी राशि का भुगतान लंबित रखने के संबंध में दिया गया बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है। आवंटित राशि की निकासी के पूर्व विपत्र में समाहित दावा की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा पूरी तरह से जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही कोषागार से विपत्र की निकासी की जानी चाहिए थी। कोषागार संहिता के नियम-300 के अनुसार तुरन्त भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए परन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी मार्च 2010 में करने के उपरान्त इस राशि का भुगतान जून, 2010 तक नहीं किया गया था। अतः आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप सं0-13.

बचाव बयान- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के आवंटन परिवहनकर्ता के परिचालन+हथालन व्यय का प्रतिशत के खर्च का अनुमानित सूची के आधार पर 34161.00 रू0 की निकासी की गई थी, न कि परिवहनकर्ता के अभिश्रव के आधार पर।

नियमानुसार उक्त राशि कैशबुक के तहत प्रखंड नाजिर के Custody में भुगतान हेतु रखा गया था । जब जिला के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया, तब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने हथालन की कुल राशि 13034.00 रू0 का परिवहन के परिचालन+हथालन व्यय का 30 प्रतिशत का अनुमानित सूची दिया और पूर्व का आवंटित परिचालन+हथालन व्यय का 30 प्रतिशत का अनुमानित सूची के अनुसार 34164.00 की राशि को कम्प्यूटर भूल के कारण प्रतिवेदित किया है। यह सूचना स्पष्टीकरण के माध्यम से जिला को दिया गया था। जिला ने इसे कम्प्यूटर भूल मानते हुए अग्रतर कार्रवाई में सामान्य निदेश दिया गया कि बची हुई शेष राशि को कोषागार में जमा करा दें। जिसके बाद दिनांक 11 मार्च, 2011 को कोषागार में उसे जमा करा दिया गया है। इन्होंने दिनांक 05 जून, 2010 को नाजीर को कोषागार में राशि अविलम्ब जमा कराने का निर्देश दे दिया था। लेकिन इन्हें ही आरोपित किया गया है। प्रस्तोता पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 11 मार्च, 2011 को शेष राशि कोषागार में जमा कर दिया गया है । नाजिर एवं दूसरे प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस विलंब के लिए उपायुक्त महोदय ने न तो आरोपित किया है न तो कोई स्पष्टीकरण ही पूछा है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- लेवी चीनी के उठाव के लिए हथालन एवं परिवहन मद में भुगतान हेतु राशि की निकासी करते समय विवरणी की जाँच सही ढंग से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा द्वारा नहीं करने के कारण वास्तविक व्यय से अधिक की निकासी कोषागार से कर ली गयी थी। जिला कार्यालय से इसके लिए स्पष्टीकरण पूछा गया था तथा अधिक निकासी की गयी राशि को कोषागार में जमा कराने का आदेश दिया गया था। परन्तु निदेश दिये जाने के बावजूद इसका अनुपालन आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन काल में नहीं किया जा सका। अधिक निकासी की गयी राशि को कोषागार में बाद में दिनांक 11 मार्च, 2011 को जमा करायी गयी है। अतः यह आरोप प्रमाणित होता है।

श्रीमती मेनका के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी का अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं था एवं वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया गया। राशि के गबन का आरोप इन पर नहीं है।

समीक्षोपरान्त, श्रीमती मेनका, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जामा को अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों का अनुश्रवण नहीं करने एवं वित्तीय अनुशासन का पालन

नहीं करने के लिए इनकी एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती मेनका, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 129—50 ।